Recived at- 22/6/16

कार्यालय नगर पालिका परिषद, अमरोहा, जनपद–अमरोहा

अति अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, अमरोहा के समस्त पंजीकृत ठेकेदारा को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिका परिषद, अमरोहा निम्न कार्य राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियो के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि/बोर्ड फण्ड से किये जाने हेतु सील बन्द निविदायें आमंत्रित करती है। अतः इच्छुक निविदा दाता अपनी–अपनी सील बन्द निविदायें दिनाँक30/6/2016 को साँय 3:00 बजे तक जलकल विभाग नगर पालिका परिषद, अमरोहा मे रखे टैण्डर बॉक्स मे डाल सकते है। जो उसी दिनांक को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा के समक्ष साँय 4:00 बजे खोली जायेगी। निविदा फार्म निर्धारित शुल्क जमा करके रिकार्ड कीपर नगर पालिका परिषद, अमरोहा से दिनाँक29/6/2016 को प्रातः10.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक क्रय की जा सकती है। अन्य जानकरी किसी भी कार्य दिवस मे सम्बन्धित कार्यालय मे देखी जा सकती है, किसी भी स्तर पर निविदा स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का समस्त अधिकार अध्यक्ष महोदय, नगर पालिका परिषद, अमरोहा मे निहित है, तथा लिये गये निर्णय पर किसी भी न्यायालय मे जाने का अधिकार नही होगा।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित व्यय	अर्नेस्ट मनी	मूल्य टैंडर फार्म (14% वेट सहित)	अवधि
1	नगर की जलापूर्ति सूचारू रख्ने हेतु पालिका के चार नलकूपो का संचालन ठेके पर(सेवा प्रदाता द्वारा) कराने का कार्य (कार्य पर रखे जाने वाले व्यक्तियों को पम्प चलाने का कम से कम 01 वर्ष का अनुभव होना चाहिये) चार नलकूपो का संचालन अंकन 1,08,000.00 रूपये प्रति माह के हिसाब से दिनांक 31/3/2017 तक हेतु।	1,08,000.00 प्रति माह	20,000.00	570.00	31.3.2017 तक।

शर्तें:–

1– सशर्त निविदायें मान्य नही की जायेगीं जो स्वतः ही निरस्त समझी जायेगीं।

2– निविदा फार्म नगर पालिका परिषद, अमरोहा मे पंजीकृत ठेकेदारो/प्लम्बरो को ही विक्रय किया जायेगा। जो कार्य हेतु निविदा फार्म क्रय करने से पूर्व 2% धरोहर राशि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, अमरोहा के नाम बन्धक डाक घर की पास बुक/एन0एस0सी0/के0वी0पी0/बैंक की एफ0डी0आर0 के रूप मे कार्यालय मे जमा करेगें।

3– जमा धरोहर राशि का विवरण निविदा प्रपत्र पर पूर्ण रूप से ठेकेदार द्वारा लिख जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति मे निविदा निरस्त करने की संस्तुति की जायेगीं।

4– निविदा प्रपत्र पर दरें सुस्पष्ट अंकों एवं शब्दो मे अंकित किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी ठेकेदार द्वारा अंको एवं शब्दो मे दरो का उल्लेख नही किया गया तो उसकी निविदा दरों के स्पष्ट न होने पर निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगीं, इसके लिये ठेकेदार/प्लम्बर स्वयं जिम्मेदार होगें।

5– निविदा आंमित्रत करने की तिथि का कोई अवकाश होगा तो उसके अगले दिन निविदा आंमन्त्रित की जायेगीं।

6–कार्य को निर्धारित अवधि मे पूर्ण न करने पर अध्यक्ष, नगर पालिका परिशद, अमरोहा को निविदा निरस्त करने अथवा प्रतिदिन नियमानुसार अर्थदण्ड लगाने का अधिकार होगा।

7– निविदा स्वीकृति के उपरान्त निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र ठेकेदार/प्लम्बर द्वारा निष्पादित करना होगा।

8– निविदा फार्म नगर पालिका परिशद, अमरोहा मे पंजीकृत उन्ही ठेकेदारो को विक्रय किये जायेगें जिनका श्रम विभाग व सेवाकर विभाग व आयकर विभाग मे पंजीयन होगा।

9– न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो का पालन सुनिश्चित करना निविदाता की पूर्ण जिम्मेदारी होगीं।

10– उक्त निविदाओं को किसी भी कारणवश या बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी मे निहित है।

11–अन्य नियम व शर्ते किसी भी कार्यदिवस मे सम्बन्धित कार्यालय मे देखी जा सकती है।

दिनाँकः–21/6/2016

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

प्रतिलिपिः–

1– नोटिस बोर्ड कार्यालय ज़िलाधिकारी महोदय, अमरोहा पर चस्पा करने हेतु।

2– नोटिस बोर्ड कार्यालय उपज़िलाधिकारी महोदय, अमरोहा पर चस्पा करने हेतु।

3– नोटिस बोर्ड कार्यालय नगर पालिका परिषद, पर चस्पा करने हेतु।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी महोदय, अमरोहा को इस अनुरोध के साथ कि जनपद की अधिकारिक वैब साईट पर प्रकाशन कराने का कष्ट करे।

5– दैनिक समाचार पत्रों "राष्ट्रीय सहारा" व "सुपर न्यूज़ लीड़र" को इस आशय से कि निविदा सूचना का प्रकाशन कम से कम स्थान मे सरकारी दरों पर कराकर समाचार पत्र की दो–दो प्रतियाँ नगर पालिका परिषद, अमरोहा को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

6– पालिका के रिकार्ड कीपर व मुख्य स्वास्थय लिपिक को उपरोक्तानुसार निविदा फार्म विक्रय करने हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, अमरोहा

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, अमरोहा